

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, शीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2021/1036

शीवा, दिनांक 5.2.21

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजविज्ञान सहाय अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

राजनीतिशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1	रिवत
	28(2) दो	1	डॉ० (श्रीमती) गायत्री खरे, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास० कन्या महाविद्यालय, जिला-शीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० आर०के० पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास० विवेकानन्द महाविद्यालय, मैहर, जिला-सतना (म०प्र०)
	28(2) तीन	1	रिवत
	28(2) चार	1	डॉ० (श्रीमती) गीता भारती, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास० कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मझौली, सीधी (म०प्र०)
		2	डॉ० सी०एम०पी० मिश्रा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, शास० इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय, जिला-सहजोल (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1	डॉ० (श्रीमती) शशि त्रिपाठी, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, शीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० अमरजीत सिंह, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, शास० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शीवा (म०प्र०)


अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० (श्रीमती) गायत्री खरे को राजनीतिशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

Dr. Ar. K. Pandey


कुलसचिव 5.2.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संचायाध्यक्ष, समाजविज्ञान सहाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)